

डिक्री बमुकदमें ईबदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहित
सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत भाग : 88 आरटीए
प्रकरण संख्या - 412/2023

1. धनराज पुत्र वृजलाल उम्र 48 वर्ष दत्तक पुत्र विद्या देवी पत्नी नानूराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रविना देवी पत्नी धनराज जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र मुखराम जाति कुम्हार निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया हाल आबाद गिर्जावाली गेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:- चक 16 एमजेडी के खाता संख्या 85/57 ज.स. 2071-74 में दर्ज समस्त कृषि भूमि का वादी संख्या 1 धनराज पुत्र वृजलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 15 एमजेडी के खाता संख्या 110/99 ज.स. 2073-76 में दर्ज समस्त कृषि भूमि का वादी संख्या 2 रविना देवी पत्नी धनराज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चकों के उक्त खातों से देवीलाल पुत्र मुखराम व विद्यादेवी पत्नी नानूराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.5.24 को जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया